चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5.0’

सम्मान, स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति टीम थाना बरगढ़ द्वारा चन्द्रेश इण्टर कॉलेज कस्बा बरगढ ,मिशन शक्ति टीम थाना भरतकूप द्वारा अकबरपुर, कस्बा भरतकूप में, मिशन शक्ति टीम थाना रैपुरा द्वारा कृषक इण्टर कॉलेज रैपुरा में, महिला थाना मिशन शक्ति टीम द्वारा कल्याण भारती इण्टर कॉलेज कालूपुर में, मिशन शक्ति टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा धतुरहा चौराहा, शंकर बाजार कर्वी में, एवं अन्य समस्त थानों की एन्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत छात्र/छात्राओ, महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट

वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने 02 अपहृताओं को सकुशल बरामद किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 26.10.2025 को एक वादिया द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि पवन कुमार,अनिल द्वारा उनकी व पड़ोस की 16 वर्षीय नाबालिक लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाना । सूचना के आधार पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 191/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम पवन व अनिल पंजीकृत किया गया था। थानाध्यक्ष पहाड़ी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पीड़िता की बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री राजेश यादव को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री राजेश यादव तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखविर की सूचना पर पीड़िताओं को दिनांक 29.10.2025 को बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश यादव
2. म0का0 स्वाती राजावत

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जंग बहादुर सिंह व उनकी टीम द्वारा वाद सं0 517/2021 अ0सं0 129/21 धारा 452,376,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजा उर्फ शमसुद्दीन पुत्र साहिबा उर्फ सहाबुद्दीन निवासी दुबारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जंग बहादुर सिंह
2. का0 मृत्युन्जय पाण्डेय
3. का0 दीपक सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा आईटी एक्ट के 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.10.2025 को एक वादिया द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी थी कि गुलशन निषाद पुत्र कमलेश निषाद थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा वादिया की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना,उलाहना देने पर अभियुक्त गुलशन,राहुल,रोहित,गोविन्द,विकास द्वारा वादिया के भाई के साथ मारपीट कर बेहोश कर देना व दिनांक 30.04.2025 को अभियुक्त गुलशन द्वारा वादिया के साथ छेड़खानी करते हुये बलात्कार करना व जान से मारने की धमकी देना व दिनांक 20.10.2025 को अभियुक्तों द्वारा घर में घुसकर लाठी डंडो से हमलावार होकर गाली गलौज करते हुये बलात्कार करने व शादी न करने देने की धमकी देना व अभियुक्त अमित द्वारा गंदी फोटो वायरल

करने की धमकी देना । इस सचूना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 347/25 धारा 64(1),74,110,115(2),191(2),352,351(3),333 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 29.10.2025 को निरीक्षक अपराध व उनकी टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त गुलशन निषाद पुत्र कमलेश निषाद थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.श्री अंजनी कुमार सिंह निरीक्षक अपराध

2.उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला

3.आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार

4.महिला आरक्षी राखी देवी

(5). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 अनिल कुमार व उनकी टीम द्वारा बलात्कार के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.03.2024 को एक वादिया द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी थी कि बहन चालीस हजार रुपये,बिछुवाचांदी का 500 ग्राम, पायल चांदी का 250 ग्राम, तीन लाकेट का माला सोने का,सोने का कान का सुई धागा लेकर शंकर पुत्र धर्मराज निवासी पहाड़ी के साथ दो पहिया गाड़ी में बैठकर चली गयी,जिसको घर से निकलते वादिया का भाई ने देखा । इस सचूना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 100/2024 धारा 363,506 भादवि0 बनाम शंकर पुत्र धर्मराज पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अपहृता की बरामदगी करते हुए धारा 366ए व 376 भादवि0 की बढ़ोतरी की गयी ।

आज दिनांक 29.10.2025 को उ0नि0 अनिल कुमार व उनकी टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त शंकर प्रसाद पटेल पुत्र धर्मराज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.श्री अनिल कुमार

2.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी विवेक कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 29.10.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत एनसीआर नं0 262/2016 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र मिश्रा पुत्र लालमन 2.संतोष मिश्रा 3.लालमन मिश्रा 4.सुन्दरलाल मिश्रा पुत्रगण राजाराम निवासी बराहमाफी थाना मानिकपुर जनद चित्रकूट को 06-06 माह का कारावास व 1000/-1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 29.10.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0स0 213/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त श्यामलाल पुत्र भैरमा निवासी परसौजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5680.21/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 29.10.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0स0 61/2009 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.नानबाबू 2.बउवा उर्फ रामकेश 3.छोटकू यादव पुत्रगण महाराजदीन यादव निवासीगण हरदौली(अहिरनपुरवा) थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।